संपादकीय

राजस्व की प्यास में लहूलुहान व्यवस्था

सागर में मौत का जहर और शिवपुरी में लूट का कहर

मध्यप्रदेश के सागर में जहरीली शराब ने कई घरों के चूल्हे बुझा दिए। शिवपुरी में शराब की दुकानें दिनदहाड़े लूटी गईं। ये घटनाएं अलग जिलों की लग सकती हैं, पर इनकी जड़ एक ही है-शासन की शराब नीति की विफलता और तंत्र की कर्तव्यहीनता। जब सरकार राजस्व के लिए नीति बनाती है और नीति ही माफियाओं के लिए युद्ध का मैदान बन जाए तो समझना चाहिए कि जन के नाम पर जन की ही बलि ली जा रही है।

मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के जज्बे की सराहना करना अच्छी बात है, पर इससे उन विधवाओं के आंसू नहीं पोंछे जा सकते, जिन्होंने जहरीली शराब से अपने पति खो दिए। विधि के रखवाले और सेवा की शपथ लेने वालों की नाक के नीचे जब खुलेआम संग्राम छिड़ा हो तो सराहना नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी केवल घटना के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं हो सकती। उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा न हों।

हर गांव में पंचायत, सचिव, सहायक सचिव, पटवारी, कोटवार, आंगनबाड़ी और शिक्षक हैं। हर थाने में बीट, सर्किल और प्रभारी हैं। हर जिले में कलेक्टर से लेकर आबकारी अधिकारी तक का अमला है। फिर भी गांव-गांव, गली-मोहल्ले और टोले में कच्ची-पक्की शराब सरेआम बिक रही है। यदि इतने पहरेदारों के बाद भी भट्टी जल रही है तो यह केवल चूक नहीं, मिलीभगत का सवाल है। यदि इतनी समीक्षाओं के बाद भी मौतें हो रही हैं तो समीक्षा केवल खानापूर्ति है। प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा कागजों पर नहीं, बल्कि गांव और मोहल्लों में होनी चाहिए। बीते कुछ वर्षों में शासन ने शराब नीति बनाई और ठेकेदारों को एमआरपी के नाम पर बांध दिया। ऊपर से राजस्व का लक्ष्य और नीचे से मुनाफे की चाहत ने वैध और अवैध के बीच की दीवार गिरा दी। वैध दुकान से कमाई कम हुई तो अवैध कारोबार का सहारा लिया गया। जहरीली शराब ने गरीब की जान ले ली। दूसरी ओर शराब माफियाओं के बीच अपना वजूद बचाने की लड़ाई शुरू हो गई। अधिक धन की लालसा में कारोबारी अदावत तेज हो गई। शिवपुरी में दुकानें लूटी गईं तो यह केवल लूट नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का संकेत है।

फिलहाल सागर में मौतों पर विलाप चल रहा है और शिवपुरी में शराब बिक्री को लेकर आक्रोश पनप रहा है। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पर असली जवाबदेही उन पर होनी चाहिए, जिनकी कर्तव्य-विमुखता के कारण ये हालात बने हैं। उस कोटवार पर कार्रवाई क्यों नहीं, जिसने सूचना नहीं दी? उस पटवारी पर कार्रवाई क्यों नहीं, जिसने आंखें मूंद लीं? उस बीट प्रभारी की जवाबदेही क्यों नहीं, जिसके क्षेत्र में जहरीली शराब बनी? सबसे बड़ा सवाल उस नीति पर है, जो राजस्व के लिए जनस्वास्थ्य को दांव पर लगा देती है।

शराब नीति का आधार राजस्व नहीं, जनस्वास्थ्य होना चाहिए। जरूरत है कि हर गांव में तैनात कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो और फील्ड में मौजूदगी सुनिश्चित की जाए। अवैध शराब की सूचना न देने वालों पर कार्रवाई हो और एमआरपी के अव्यावहारिक बंधनों को हटाकर पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। साथ ही शराब की बिक्री और अवैध कारोबार पर निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर नियमित समीक्षा हो। विलाप के साथ हिसाब भी जरूरी है, नहीं तो कल फिर किसी सागर में चिताएं जलेंगी और किसी शिवपुरी में दुकानें लुटेंगी। जनता को केवल कार्रवाई के आश्वासन नहीं, सुरक्षित जीवन, पारदर्शी शासन और जिम्मेदार प्रशासन की ठोस गारंटी चाहिए, हर हाल में।

आजकल

यूपीआई पर टैक्स की आहट कैश की वापसी का डर

डिजिटल अर्थव्यवस्था के भरोसे पर चोट

यूपीआई पर टैक्स की चर्चा ने उन लोगों के चेहरे पर तनाव ला दिया है, जो अभी-अभी नगद खरीद-फरोख्त से बाहर निकले थे। यूपीआई ने भारत में भुगतान की संस्कृति बदल दी। जो आदमी कभी खुले पैसे के लिए परेशान होता था, वह अब क्यूआर कोड दिखाता है। यह बदलाव केवल सुविधा का नहीं, बल्कि भरोसे का था। लोगों को लगा कि डिजिटल लेनदेन सस्ता और सुरक्षित है। टैक्स की चर्चा से वही भरोसा हिलने लगा है। यह भरोसा आसानी से नहीं बनता।

यूपीआई भुगतान पर टैक्स लगा तो आम आदमी उसी तरफ लौट सकता है। दुकानदार सोचेगा कि ग्राहक से दो हजार रुपये का सामान लिया तो ऊपर से टैक्स क्यों दूं। वह कहेगा, भैया कैश दे दो। ग्राहक के पास कैश नहीं होगा तो उधारी होगी और विवाद बढ़ेंगे। छोटे व्यापार में यूपीआई ने जो पारदर्शिता लाई है, वह फिर धुंधली हो सकती है।

यूपीआई की सफलता में इसका आसान और कम लागत वाला होना महत्वपूर्ण रहा है। इसने भुगतान को सरल बनाया है। यदि इस पर शुल्क या टैक्स का बोझ आया तो छोटे व्यापारी प्रभावित होंगे। वे पहले ही जीएसटी और अन्य खर्चों से दबे हैं। यूपीआई से हर लेनदेन का रिकॉर्ड बनता है। कैश में यह पारदर्शिता नहीं होती। टैक्स के डर से लोग कैश में लौटे तो पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। आम आदमी अब जेब में ज्यादा कैश नहीं रखता। रोजमर्रा की जरूरतों का भुगतान भी यूपीआई से करता है। उसके लिए यूपीआई भुगतान के साथ हिसाब-किताब का साधन भी है।

सरकार को यूपीआई पर टैक्स संबंधी चर्चा पर स्पष्टता देनी चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था भरोसे पर चलती है। जिस कैशलेस व्यवस्था को बनाने में वर्षों लगे हैं, उसे अनिश्चितता से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा के 25 साल ... मुख्यमंत्री का ब्लॉग

वैश्विक मंच पर बढ़ायी भारत की प्रतिष्ठा और मान-सम्मान

डॉ. मोहन यादव

यशस्वी नरेन्द्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के रूप में ढाई दशक की गौरवपूर्ण यात्रा पर विशेषराजनीति के मैदान में ऐसे अनेक नेता और जननेता हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इनमें कुछ अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने गए, तो कुछ ने अपने राजनीतिक कौशल से अलग पहचान बनाई। लेकिन ऐसे नेता विरले ही होते हैं, जो संगठन से निकलकर मुख्यमंत्री के रूप में अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकुशलता की मिसाल कायम करें और आगे चलकर प्रधानमंत्री के रूप में न केवल देश की राजनीति और शासन-व्यवस्था को नई दिशा दें, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और प्रभाव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सार्वजनिक जीवन ऐसी ही असाधारण यात्रा का उदाहरण है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 13 वर्षों तक उन्होंने शासन की एक ऐसी शैली विकसित की, जिसमें विकास, सुशासन और जनभागीदारी को केंद्र में रखा गया। इसके बाद वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और विश्व में प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे परिस्थितियों को केवल देखते नहीं, बल्कि उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं।

दुनिया की राजनीति में कहाँ मौन रहना है, कहाँ अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी है और कहाँ दृढ़ता के साथ भारत के हितों की रक्षा करनी है। इसका संतुलन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी विदेश नीति में लगातार प्रदर्शित किया है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्होंने विश्व के विभिन्न शक्ति-केंद्रों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है।

आज भारत विश्व राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना हो, पश्चिम एशिया में भारत के हितों की रक्षा करनी हो या रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे जटिल अंतरराष्ट्रीय विषयों पर शांति और संवाद का पक्ष रखना हो, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय दृष्टिकोण को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि संकट के समय भारत ने केवल अपने नागरिकों की ही चिंता नहीं की, बल्कि मानवता के प्रति अपने दायित्व को भी निभाया। कोरोना महामारी के कठिन दौर में भारत ने जिस प्रकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और जरूरतों का ध्यान रखा, वह अभूतपूर्व था। इसके साथ ही भारत ने अनेक देशों को दवाइयाँ, वैक्सीन और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से लेकर तुर्किए तक, जब भी आवश्यकता पड़ी, भारत ने सहायता का हाथ बढ़ाया।

युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चलाए गए। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित वापसी हो या संकटग्रस्त परिस्थितियों में अन्य भारतीय नागरिकों को स्वदेश लानाइन प्रयासों ने यह संदेश दिया कि भारत अपने प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।भारत की मानवीय संवेदनशीलता का परिचय उस समय भी मिला, जब कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान के विद्यार्थियों को भी सुरक्षित उनके देश वापस पहुँचाने के प्रयास किए गए। यह भारतीय संस्कृति की उस भावना का परिचायक है, जिसमें मानवता को सर्वोपरि माना गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद को सहन करने वाला देश नहीं है।ऑपरेशन सिंदूर ने भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संकल्प को दुनिया के सामने दृढ़ता से रखा। भारत ने यह स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई उसके लिए केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान और नागरिकों की सुरक्षा का प्रश्न भी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आतंकवाद को लेकर भारत की नीति में जो दृढ़ता आई है, उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकर्षित किया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे को वैश्विक मंचों पर प्रभावी ढंग से उठाने और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने में भारत को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर स्वयं को एक संतुलित, व्यावहारिक और नीतिगत रूप से स्वायत्त राष्ट्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। भारत की साख एक ऐसे देश के रूप में बनी है जो वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और पश्चिमी देशों तथा पूर्वी शक्तियों के बीच संवाद का संतुलन बनाए रखने में सक्षम है।

भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ब्रिक्स किसी पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में नहीं, बल्कि एक समावेशी और सुधारात्मक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास और आतंकवाद के प्रति कड़े रुख ने वैश्विक स्तर पर देश की विश्वसनीयता को और अधिक बढ़ाया है।इस पूरे परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अत्यंत निर्णायक और प्रभावी रही है। सम्मेलनों के दौरान विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ की गई उनकी द्विपक्षीय बैठकों ने न केवल जटिल क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने में मदद की, बल्कि भारत के आर्थिक और व्यापारिक हितों को भी नई दिशा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। जनकल्याण की योजनाओं में जाति, क्षेत्र या धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों परिवारों तक पहुँचा है।गरीबों को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। पक्का घर, शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाता, स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्यान्न की उपलब्धता जैसे विषयों को जनकल्याण की मुख्यधारा में लाया गया।

आयुष्मान भारत योजना ने गरीब और असहाय परिवारों के लिए गंभीर बीमारियों के उपचार को आर्थिक रूप से अधिक सुलभ बनाया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।प्रधानमंत्री जी के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' केवल नारा नहीं, बल्कि शासन का मूल मंत्र रहा है।

प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभालते ही मोदी जी ने स्वच्छता को राष्ट्रीय अभियान का रूप दिया। उन्होंने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया और देशवासियों से स्वच्छ भारत के निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया।इस अभियान ने देश की सोच में परिवर्तन लाने का काम किया। गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता जनआंदोलन बनी। मध्यप्रदेश ने भी इस अभियान में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इंदौर का लगातार स्वच्छ शहरों में अग्रणी रहना इस जनभागीदारी का प्रेरक उदाहरण है।

प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने उत्पादन, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में नई संभावनाएँ पैदा की हैं। रक्षा उत्पादन और निर्यात में भारत की बढ़ती क्षमता इसका प्रमाण है।भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं। चंद्रयान-3 की सफलता और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सफल सॉफ्ट लैंडिंग ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की वैज्ञानिक क्षमता की ओर आकर्षित किया।

प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। युवाओं को कौशल, रोजगार, स्वरोजगार, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। मुद्रा योजना ने छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर लाखों युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर दिया। कौशल विकास और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं में नौकरी खोजने के साथ-साथ रोजगार देने की भावना को भी मजबूत किया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को रसोई के धुएँ से राहत दिलाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ने महिलाओं को परिवार की संपत्ति में अधिक सम्मानजनक भागीदारी का अवसर दिया।

महिला आरक्षण कानून ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम रखा है।'लखपति दीदी' अभियान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विकास के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति समाज में आत्मविश्वास जगाने का कार्य किया है। 'विरासत के साथ विकास' की भावना के अनुरूप उन्होंने आधुनिक भारत को उसकी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया है।योग, जो भारत की हजारों वर्ष पुरानी जीवन पद्धति है, उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में प्रधानमंत्री जी की भूमिका उल्लेखनीय रही है। उनके प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। आज दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने स्वस्थ जीवन का हिस्सा बना रहे हैं।

यशस्वी मोदी जी के प्रयासों से अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने करोड़ों भारतीयों की आस्था और सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा दी। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय राष्ट्रीय एकता और अखंडता की दृष्टि से ऐतिहासिक माना गया।

'मन की बात' के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने देश के सामान्य नागरिकों से सीधे संवाद की एक अनूठी परंपरा विकसित की। देश के दूरदराज के गांवों, छोटे शहरों और सामान्य परिवारों से जुड़े अनेक लोगों के कार्यों को राष्ट्रीय मंच मिला।यह संवाद प्रधानमंत्री जी के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें भारत का विकास केवल सरकार के प्रयासों से नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से संभव माना गया है।

यशस्वीनरेंद्र मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष केवल सत्ता में रहने की अवधि नहीं, बल्कि सेवा, संघर्ष, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण की निरंतर यात्रा हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से समाज और राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर शुरू हुई यह यात्रा गुजरात के मुख्यमंत्री से होते हुए देश के प्रधानमंत्री तक पहुँची।उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और यही भावना उनके प्रत्येक निर्णय में दिखाई देती है। उन्होंने भारत को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का लक्ष्य सामने रखा है।उनके जन्मदिवस पर हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि हम राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँगे।

कहा गया है......

'परिश्रम में जो तपा है, उसने ही तो इतिहास रचा है।

जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है, उसने ही समय को मोड़ा है।

समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है।'

यह उद्घोष आज भारत के उस नेतृत्व के प्रति हमारे विश्वास को व्यक्त करता है, जिसने सेवा को साधना और राष्ट्र निर्माण को अपना ध्येय बनाया है।आइए, प्रधानमंत्री जी की 25 वर्षों की सेवा यात्रा के अवसर पर हम भी राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का संकल्प लें। देश के लिए नई उम्मीदों का दीप जलाएँ, अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दें और उस भारत के निर्माण में सहभागी बनें, जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनायकों ने देखा था।

प्रधानमंत्री जी केजन्मदिन 17 सितंबर को हम सभी अपने घरों और प्रतिष्ठानों में आशीर्वाद का एक दीप जलाएँ और उनकी दीर्घायु, स्वस्थ एवं यशस्वी जीवन की कामना करें। यह दीप उस विश्वास का प्रतीक बने कि भारत की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, देश आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली बने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार हो।'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की यात्रा निरंतर आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस पर हमारी सबसे बड़ी शुभकामना है।

'जिसने जीवन संवारा, उसको नमन हमारा।'

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं)

कागजों पर पढ़ाई और अस्पताल में खतरा

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों का जो सच सामने आया है, वह केवल घोटाला नहीं है, वह पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक तमाचा है। सीबीआई ने जब नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि मिलाई तो पता चला कि प्रदेश में 1,266 शिक्षक ऐसे हैं, जो एक ही समय में कई-कई कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। 3,251 बार एक ही नाम को अलग-अलग कॉलेजों में दर्ज किया गया। 1,608 शिक्षकों का तो नर्सिंग काउंसिल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब न शिक्षक है, न रिकॉर्ड है, पर कॉलेज चल रहा है और मान्यता भी है। यह जादुई हाजिरी का खेल है। कागज पर शिक्षक आता है, कागज पर पढ़ाता है और कागज पर ही छात्रों को नर्स बना देता है।

ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ जिलों में 194 कॉलेज ऐसे मिले, जो पूरी तरह डुप्लीकेट फैकल्टी के सहारे चल रहे थे। 766 नाम ऐसे थे, जो सिर्फ कागजों में थे। एक-एक जिले का आंकड़ा देखिए तो समझ आएगा कि यह कितना बड़ा नेटवर्क था। ग्वालियर में 114 कॉलेजों में 468 फर्जी नाम, दतिया में 25 कॉलेजों में 72, मुरैना में 25 में 67, भोपाल जैसे राजधानी शहर में 85 कॉलेजों में 578 फर्जी एंट्रियां, इंदौर में 41 कॉलेजों में 202 और जबलपुर में 22 कॉलेजों में 84 फर्जी एंट्रियां मिलीं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि एक शिक्षक 24 कॉलेजों में पढ़ाता दिखाया गया। उसका नाम तीन साल में 24 जगह दर्ज था। 20 कॉलेजों में 11, 21 कॉलेजों में 10 और 22 कॉलेजों में तीन बार नाम दर्ज हुआ। क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में 24 जगह पढ़ा सकता है? पर कागज पर तो वह पढ़ा रहा था। आर्टिकल की नजर से देखें तो सवाल सिस्टम पर है। यह केवल कुछ कॉलेज संचालकों के

लालच की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की मिलीभगत की कहानी है। नर्सिंग जैसे संवेदनशील कोर्स की मान्यता देने से पहले जांच होनी चाहिए थी। फैकल्टी का वेरिफिकेशन होना चाहिए था। बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए थी, पर कुछ नहीं हुआ। सत्र 2020-21 में 561 कॉलेजों में 1,060 शिक्षक डुप्लीकेट मिले। उनकी एंट्री 2,527 बार हुई। अगले साल 285 कॉलेजों में 275 शिक्षक फिर डुप्लीकेट मिले। मतलब एक बार पकड़े जाने के बाद भी वही खेल चलता रहा। मान्यता देने वाली एजेंसियों ने आंखें बंद कर रखी थीं। काउंसिल में रिकॉर्ड ही नहीं और कॉलेज में वह प्रोफेसर है, तो फिर मान्यता कैसे मिली? यह सवाल आज हर अभिभावक पूछ रहा है। नर्सिंग कोई सामान्य डिग्री नहीं है। यह जान बचाने की जिम्मेदारी है। एक गलत इंजेक्शन, एक गलत दवा, एक गलत प्राथमिक उपचार से मरीज की जान जा सकती है। अगर नर्स ने कभी प्रैक्टिकल ही नहीं किया, अगर उसे पढ़ाने वाला ही कागजी था तो वह अस्पताल में क्या करेगी? आज प्रदेश के कई निजी अस्पतालों में ऐसे नर्स काम कर रहे हैं, जिनकी डिग्री तो है, पर ज्ञान नहीं है। यह मरीज की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ है। हम डॉक्टरों की कमी की बात करते हैं, पर नर्सिंग स्टाफ की गुणवत्ता की बात नहीं करते। जब तक नर्सिंग शिक्षा कागजों पर चलती रहेगी, तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। इस पूरे फर्जीवाड़े ने एक बात साफ कर दी है कि नर्सिंग शिक्षा में सुधार की जरूरत है। सबसे पहले सभी 633 कॉलेजों की दोबारा जांच होनी चाहिए। हर फैकल्टी की फिजिकल उपस्थिति और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। जो कॉलेज डुप्लीकेट फैकल्टी पर चल रहे हैं, उनकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द होनी चाहिए।

नर्सिंग कॉलेजों को अस्पताल से जोड़ा जाए। जहां अस्पताल नहीं, वहां कॉलेज नहीं, ताकि छात्र सिर्फ किताब नहीं, बल्कि मरीज के बीच सीखें। जरूरी है कि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। केवल कॉलेज संचालक ही दोषी नहीं हैं। जिन अधिकारियों ने बिना जांच मान्यता दी, वे भी बराबर के जिम्मेदार हैं।

नर्सिंग का मतलब सेवा है, पर जब सेवा की पढ़ाई ही फर्जी हो तो सेवा कैसे ईमानदार होगी? यह समय है कि कागजी हाजिरी बंद हो और असली पढ़ाई शुरू हो।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

मध्यप्रदेश में वसूली एजेंटों के आतंक का अर्थशास्त्र

मध्यप्रदेश में आज कर्ज लेना जितना आसान हो गया है, उतना ही कठिन हो गया है कर्ज के बाद चैन से सोना। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में वसूली एजेंटों की गुंडागर्दी अब अपवाद नहीं रही, बल्कि एक पैटर्न बन गई है। तीन साल में 342 शिकायतें और उसके बाद सिर्फ नौ महीने में 351 नई शिकायतें। यह उछाल इस बात का सबूत नहीं है कि अचानक एजेंट बिगड़ गए हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अब लोग डर की चादर हटाकर बोलने लगे हैं। पहले लोग फोन पर गाली सुनकर चुप हो जाते थे, अब वे लिखकर शिकायत कर रहे हैं और यही बदलाव सबसे बड़ा है।

संसद में रखे गए आंकड़े एक अजीब विरोधाभास दिखाते हैं। वर्ष 2025-26 में देशभर में वसूली एजेंसियों के खिलाफ 18,021 शिकायतें आईं। इनमें मध्यप्रदेश का हिस्सा सिर्फ 195 यानी करीब एक प्रतिशत है, जबकि देश की आबादी में मध्यप्रदेश का हिस्सा लगभग छह प्रतिशत है। सवाल यह है कि क्या मध्यप्रदेश में एजेंट ज्यादा सभ्य हैं? क्या मध्यप्रदेश का कर्जदार ज्यादा डरा हुआ है? सच्चाई दूसरी है। गांव और कस्बे का आदमी यह मानता है कि बैंक से लड़ना सरकार से लड़ना है। उसे लगता है कि अगर उसने शिकायत की तो उसका सिबिल खराब हो जाएगा, उसे लोन कभी नहीं मिलेगा, उसकी बेइज्जती होगी। इसी अज्ञानता का फायदा एजेंट उठाते हैं। इसीलिए आबादी ज्यादा और शिकायत कम है। यह कम शिकायत गर्व की बात नहीं, शर्म की बात है।

तीन साल का गणित देखिए। 2023-24 में 49 शिकायतें, 2024-25 में 98 शिकायतें और 2025-26 में 195 शिकायतें। हर साल संख्या लगभग दोगुनी। यह ग्राफ केवल शिकायत का नहीं है, यह जागरूकता का ग्राफ है। जब आरबीआई ने कहा कि वसूली एजेंट रात-बेरात फोन नहीं कर सकते, परिवार को धमका नहीं सकते और

गाली-गलौज नहीं कर सकते, तब जाकर लोगों को लगा कि कानून उनके साथ भी है। पर कानून के बाद भी हकीकत नहीं बदली। आरबीआई ने 28 नवंबर 2025 को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। कहा कि किसी भी सूरत में गैरकानूनी तरीका न अपनाया जाए और कर्जदार को उचित नोटिस दिया जाए। पर उसके बाद भी 71 शिकायतें सिर्फ नियम न मानने की आईं और अगले पांच महीनों में 280 और शिकायतें जुड़ गईं। मतलब आदेश कागज पर है और वसूली आज भी सड़क पर है।

वसूली एजेंट का सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, बल्कि शर्म है। भारतीय समाज में कर्ज को पाप समझा जाता है। इसलिए वह कर्जदार को फोन नहीं करता, वह उसके आत्मसम्मान को फोन करता है। वह पत्नी को बताता है, तुम्हारा पति कर्ज नहीं चुका रहा। वह पड़ोसी को बताता है कि देखो, यह आदमी चोर है। वह दफ्तर में फोन करके कहता है कि आपका कर्मचारी फ्रॉड है। आदमी कर्ज से नहीं टूटता, वह बेइज्जती से टूट जाता है। मध्यप्रदेश के कई मामलों में देखा गया है कि मूल कर्ज दस या बीस हजार था, पर ब्याज और पेनल्टी जोड़कर उसे चार गुना यानी 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया और फिर उसी बढ़े हुए कर्ज के लिए धमकी दी गई। यह वसूली नहीं है, यह मानसिक प्रताड़ना है और कई बार यही प्रताड़ना लोगों को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। हमने वसूली आउटसोर्स कर दी है। एजेंसी कहती है कि हमें टारगेट दिया गया है और बीच में कर्जदार फंस जाता है। जब शिकायत होती है तो बैंक कहता है कि एजेंसी ने किया। एजेंसी कहती है कि लड़का नया था और मामला खत्म। आरबीआई ने साफ कहा है कि आउटसोर्स करने के बाद भी जिम्मेदारी बैंक की ही रहेगी। यदि एजेंट ने गाली दी है तो गाली बैंक ने दी है। यदि एजेंट ने रात में फोन किया है तो फोन बैंक ने किया है। पर मध्यप्रदेश में इस सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा। इसीलिए लोग सीधे आरबीआई के पास जा रहे हैं।

डरने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए तीन आसान रास्ते बनाए हैं - ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, टोल-फ्री नंबर 14448 पर कॉल करके और लिखित शिकायत भेजकर। सबसे पहले अपने बैंक के नोडल अधिकारी को लिखित में शिकायत दें। 30 दिन में जवाब न आए या जवाब से संतुष्टि न हो तो आप सीधे लोकपाल के पास जा सकते हैं। यदि आपने पहले ही बैंक में शिकायत कर रखी है तो आप सीधे लोकपाल योजना 2021 के तहत जा सकते हैं। यह अधिकार हर कर्जदार का है।

कर्ज लेना कोई अपराध नहीं है। किस्त चूकना भी अपराध नहीं है। यह एक अनुबंध का उल्लंघन है, जिसका समाधान कानून से होगा, धमकी से नहीं। कर्ज का बाजार भरोसे से चलेगा, धमकी से नहीं। मध्यप्रदेश में वसूली एजेंटों का जो गुंडाराज दिख रहा है, वह केवल कुछ लोगों की बदमाशी नहीं है। वह एक पूरी सोच का नतीजा है, जिसमें कर्जदार को ग्राहक नहीं, बल्कि अपराधी समझा जाता है। जब तक यह सोच नहीं बदलेगी, तब तक शिकायतें दोगुनी होती रहेंगी।

बैंकों को समझना होगा कि मध्यप्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां आय अनियमित है। कभी फसल खराब तो कभी बाजार मंदा। ऐसे में सख्ती से नहीं, बल्कि समझदारी से वसूली होगी और कर्जदार को भी समझना होगा कि चुप रहना समाधान नहीं है। जागरूकता ही बचाव है, क्योंकि जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा और जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक कर्ज मदद नहीं, बल्कि सजा बना रहेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)